

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/4512

दिनांक:- 28/5/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय तथा फायरमैन/सफाई सेवा संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री महेन्द्र सुल्तानिया	कनिष्ठ लिपिक	किशनगढबास	जोबनेर
2	श्री प्रहलाद नागर	फायरमैन	बूदी	केशोरायपाटन
3	श्री रोहित वशिष्ठ	फायरमैन	केशोरायपाटन	बूदी
4	बीना	सफाई कर्मचारी	खैरथल	अलवर

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त कार्यमुक्त कर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाये।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवानिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अराडा)

निदेशक एवं संयुक्त

शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/4513-533

दिनांक:- 28/5/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्ष0) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/कोटा।
4. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी/नगर परिषद/पालिका/किशनगढबास/बूदी/केशोरायपाटन/जोबनेर/खैरथल/अलवर।
5. श्री..... पद..... नगर पालिका.....
6. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ विरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)